समाहरणालय, बक्सर

(आपूर्ति शाखा)

फोन नं0–(06183)222335(R),222336(O) मो0– 8544426112

ई–मेल – dm.buxar.bih@nic.in ई–मेल – dsobuxar1@gmail.com

अमन समीर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 31.03.2021 को सम्पन्न खरीफ विपणन मौसम 2020–21 अन्तर्गत् धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स के बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थितिः– यथा पंजी।

कार्यवाही

दिनांक 31.03.2021 को खरीफ विपणन मौसम 2020–21 हेतु धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक की गयी। धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में धान अधिप्राप्ति मौसम 2020–21 के सफल कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

(1) CMR प्राप्ति की समीक्षा की गई। कुल 71075.461 एम0टी0 धान मिल में भेजे गये है, जिसके विरूद्ध कुल 40919 एम0टी0 CMR प्राप्त हुआ है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया गया कि शेष CMR की प्राप्ति सुनिश्चित करायें।

(2) जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम के द्वारा बताया गया कि कुल 2193 लॉट चावल लिया जाना है, जिसके विरूद्ध 1548 लॉट लिया जा चुका है तथा कुल 645 लॉट चावल लेना अवशेष हैं। रैक उपलब्ध कराने हेतु विभाग से पत्राचार किया गया है अबतक रैक प्राप्त नहीं होने के कारण शेष सी0एम0आर0 प्राप्त करकने में समस्या हो रही है। विभाग द्वारा एक रैक प्राप्त कराने की सूचना दी गई है। रैक प्राप्त होते ही कम से कम 60 लॉट सी0एम0आर0 विगत एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर लिया जाएगा। जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया जाता है कि विभाग से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही और रैक प्राप्त कराना सुनिश्चित करगें।

(3) चावल रखे जाने हेतु गोदाम की उपलब्धता के संबंध में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया गया कि संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर गोदाम प्राप्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

(4) PDS को चावल प्राप्त कराने हेतु TPDS गोदाम में CMR भेजने हेतु जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को निदेशित किया गया कि अग्रिम CMR भेजने के संबंध में विभाग को पत्राचार करना सुनिश्चित करेंगें।

(5) बाजार समिति प्रांगण में 10 एम0टी0 के खाली गोदामों में CMR भण्डारण हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर सदर से समन्वय स्थापित कर शेष CMR को प्राप्त कर गोदामों में भण्डारित करना सुनिश्चित करेंगे।

(6) जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि भण्डारित CMR गोदामों का सत्यापन कराने हेतु जाँच टीम गठित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(7) जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि सभी पैक्स/व्यापार मण्डलों के गोदामों का सत्यापन BCO/BAO से कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वैसे पैक्स/व्यापार मण्डल जिसका अंकेक्षण अद्यतन नहीं है, को शीघ्र ही अंकेक्षण पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक 04-293 /आ0, दिनांक 06 / 04 /2021

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सहकारिता पदाधिकारी,बक्सर/जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर/अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर/डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– वरीय उप समाहर्त्ता, धान अधिप्राप्ति, बक्सर जिला को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप विकास आयुक्त बक्सर/अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– विशेष कार्य पदाधिकारी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

6/4/21

जिला पदाधिकारी
बक्सर